BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 16 नवम्बर 2023 **थाना कोतवाली देहात**

बंटी की हत्या में संलिप्त 02 हत्यारोपी आलाकत्ल सहित गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वादी वीरपाल सिंह पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम ताजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर ने दिनांक 13.11.2023 को थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि उसका भतीजा बंटी पुत्र राजाराम निवासी उपरोक्त दिनांक 12.11.2023 को दीपावली का त्यौहार मनाने दिल्ली से गांव आया हुआ था। उसी दिन शाम के समय बंटी का गांव के ही अरविन्द पुत्र संजय के साथ शराब के पैसो को लेकर विवाद/झगड़ा हो गया जिसमें अरविन्द द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बंटी उपरोक्त की हत्या कर दी गयी। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 634/23 धारा 147/148/149/302 भादवि बनाम अरविन्द सहित कुल 06 अभियुक्त नामजद पंजीकृत हैं।

उक्त घटना के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा जांच/छानबीन में अरविन्द के भाई (बाल अपचारी) का नाम प्रकाश में आया। अन्य नामजद 05 अभियुक्तों के संबंध में गहनता से विवेचना प्रचलित है। आज दिनांक 16.11.2023 को घटना में संलिप्त अभियुक्त अरविन्द व उसके भाई बाल अपचारी को जैनपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों की निशादेही पर आलाकत्ल पेंचकस को बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1- अरविन्द पुत्र संजय निवासी ग्राम ताजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

2- एक बाल अपचारी।

बरामदगी-

1- 01 आला कत्ल पेंचकस

हत्या का कारण- अभियुक्त अरविन्द द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि दिनांक 12.11.2023 को शाम के समय मृतक बंटी हमारे घर आया तथा शराब के पैसो को लेकर हम दोनो का झगड़ा हो गया। मेरा छोटा भाई जो घर में झालर लगा रहा था उसने घुससे में आकर बंटी उपरोक्त पर पेंचकस से वार किये जो उसकी छाती और गले पर लग गये जिससे बंटी उपरोक्त की मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री राजेश चतुर्वेदी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात।
2. उ0नि0 अखिलेश कुमार, उ0नि0 शरद कुमार
3. है0का0 धीरेन्द्र सिंह, का0 देवेन्द्र कुमार, का0 अर्जुन सिंह, का0 शिवम कुमार

मीडिया सेल बुलंदशहर